Union Catalogue (संघ- प्रसूची)

परिचय (Introduction)

संघ- प्रसूची (Union Catalogue)का आशय किसी क्षेत्र विशेष के ग्रंथालयों की सम्मिलित प्रसूची से होता है । यहे क्षेत्र कोई भी राष्ट्र, राज्य अथवा क्षेत्र विशेष हो सकता है। उपयोक्ताओ तथा संदर्भ ग्रंथालयों को अन्य ग्रंथालयों में उपलब्ध वांछित प्लखों की जानकारी प्रदान करने हेतु संघ प्रसूची म्हत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है।

संघ- प्रसूची (Union Catalogue) दो सबदों से मिलकर बना है – संघ तथा प्रसूची। इसलिए संघ प्रसूची का सीधा सा आशय संगठित प्रसूची अर्थात दो या दो से अधिक ग्रंथालयों की संगठित प्रसूची से होता है। इस प्रकार संघ प्रसूची किसी क्षेत्र विशेष के अनेक ग्रंथालयों मैं संग्रहीत प्रलेखों की वह सूची है जिसे पारंपरिक सहकारिता के आधार पर संकलित किया जाता है। संघ प्रसूची सभी प्रकार के प्लेखों के लिए बनाई जा सकती है। जैसे – पुस्तकों की, पत्रिकाओ की, फिल्म आदि की।

परिभाषा (Definition) :

दो या दो से अधिक ग्रंथालयों के सभी ग्रंथो की प्रसूची जिसमें उन समस्त ग्रंथालयों के नाम दिये हो जंहा उन ग्रंथो की प्रतिया प्राप्त की जा सके संघ प्रसूची कहलाती है। एक संघ प्रसूची समस्त प्रकार के ग्रंथो को सम्मालित कर सकती है अथवा उनमें से किसी एक प्रकार के ग्रंथो तक भी सीमित रहे सकती है। (**रंगनाथन**)

उद्धेशय (Objectives) :

कोई भी ग्रंथालय ऐसा नही है जो अपने उपयोक्ताओ की ग्रंथ संबंधी आवश्यकता की पूर्ति स्वेय अकेला ही कर सके। इसलिए उक्त ग्रंथयाय को अन्य ग्रंथालयों के परलेखों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। अन्य ग्रंथालयों के परलेखों की सूचना उपयोक्ताओ को संघ- प्रसूची के माध्यम से दी जाती है। इस प्रकार संघ- प्रसूची का उद्धेशय उन सभी ग्रंथालयों में संग्रहीत परलेखों के बारे में सूचना उपलब्ध करना होता है जिन ग्रंथालयों में वे परलेख उपलब्ध होते है। इस प्रकार संघ-प्रसूची उन सभी ग्रंथालयों के परलेखों की प्रसूची होती है जंहा ग्रंथ उपलब्ध होता है।

लाभ एवम उपयोगिता (Advantages and Utility)

ग्रंथालयों में संघ प्रसूची की सुविधा प्रदान करने से उपयोक्ताओ को निम्म्न लाभ प्राप्त होते हैं –

1. संघ प्रसूची से जिस अन्य ग्रंथालय का नाम ज्ञात होता है उस ग्रंथालय में उपलब्ध परलेखों के बारे में सूचना प्रदान करती है।
2. ग्रंथालय में उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य ग्रंथालयों से ग्रंथो की पूर्ति होने से अनग्रंथालय ऋण सेवा को प्रोत्साहन मिलता है जिससे परलेखों की खोज करने में लगने वाले समय की बचत होती है। इसलिए संघ प्रसूची समय की बचत करने का एक साधन है।
3. संघ प्रसूची का प्रावधान होने से ग्रंथालय एसे अनावश्यक अथवा बहुमूल्य ग्रंथो को क्रय किए बिना अपना कार्य चला सकता है जिनकी मांग एवं आवश्यकता उपयोक्ताओ को कभी कभार ही होती है। कहने का तात्पर्य यह है की संघ प्रसूची अनावश्यक परलेखों को रोकती है।
4. यदि संघ प्रसूची अनुसंधान पत्रिकाओ से संबन्धित है तो संकलित पत्रिकाओ के जीवन में घटित होने वाले सभी परिवर्तनों को सूचित करती है।
5. ग्रंथालय में ज्यो-ज्यो ग्रंथ उपलब्ध नही है अर्थात अनुपलब्ध साहित्य पर प्रकाश डालती है।
6. बिबलिओग्राफीस के संकलन तथा प्रतिलिपि के निर्माण कार्यो मैं यह सहायक सीध होती हैं।
7. संघ प्रसूची के माध्यम से ग्रंथालय विशेष में उपलब्ध ग्रंथो की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त होती हैं।
8. इस प्रसूची के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है की मांग के अनुसार देश में अथवा अभीष्ट भाषा में किस विषय पर ग्रंथ प्रकाशित नही है।
9. ग्रंथालय विनिमय कार्यक्रम में संघ प्रसूची से सहायता प्राप्त होती है।

संदर्भ (Reference)

1. किशन कुमार (1993)। सूचीबद्ध। नई दिल्ली: हर-आनंद। p.9-23।
2. हंटर, ई.जे. और के.जी.बी. बेकवेल। (1993)। कैटलॉग 2 एड। लंदन क्लाइव बिंगले। अध्याय 1, पृष्ठ.1-9।
3. एस। आर। रंगनाथन (1964)। अतिरिक्त सूची के लिए वर्गीकृत कैटलॉग कोड शब्दकोश सूची 5 वां संस्करण। बॉम्बे: एशिया पब्लिशिंग हाउस। अध्याय डीए।